भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2422

उत्तर देने की तारीख 15 दिसंबर, 2025

सोमवार, 24 अग्रहायण, 1947 (शक)

संशोधित शिक्षुता वृत्ति नियमों के अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्बद्ध प्रशिक्षण के परिणाम

2422. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केंद्रीय शिक्षुता परिषद द्वारा अनुशंसित शिक्षुता वृत्ति में प्रस्तावित 36 प्रतिशत वृद्धि के बाद प्रतिष्ठानों पर वित्तीय और परिचालन प्रभाव के संबंध में कोई राष्ट्रीय आकलन किया है और यदि हां, तो क्षेत्र-वार आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ओडिशा ने संशोधित वृत्ति मानदंडों के कार्यान्वयन के बाद विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), जैव प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में प्रशिक्षुओं की नियुक्ति में अपेक्षित परिवर्तनों के संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत किया है;

(ग) क्या बोलंगीर जिले में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस)-2 और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) में आरम्भ किए गए कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड के अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्बद्ध प्रशिक्षण में नामांकन और पूर्णता परिणाम की सूचना मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उभरती हुई तकनीकी भूमिकाओं में प्रशिक्षुओं के दीर्घकालिक रोजगार या शिक्षुता की निरंतरता की निगरानी के लिए सरकारी तंत्र क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निर्धारित न्यूनतम निश्चित वजीफा दरें जो सभी क्षेत्रों और ट्रेडों में समान है, को केंद्रीय शिक्षुता परिषद (सीएसी) द्वारा अनुमोदित की गईं और दिनांक 25.09.2019 से अधिसूचित की गईं। प्रतिष्ठानों, राज्य सरकारों और क्षेत्रीय कौशल परिषदों के अनुरोधों और विभिन्न समयों पर हितधारकों के साथ परामर्श के दौरान प्राप्त फीडबैक के आधार पर, जीवन यापन की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्धारित न्यूनतम वजीफे में संशोधन का प्रस्ताव दिनांक 26.05.2025 को आयोजित सीएसी की 38वीं बैठक में रखा गया और उसने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोतसाहन योजना (एनएपीएस)-2 के तहत कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं है। संशोधित वजीफा दरें दिनांक 11.09.2025 की राजपत्र अधिसूचना के

माध्यम से लागू की गई थीं और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया था। मंत्रालय ने तब से स्पष्टीकरण जारी किए हैं, जागरूकता वेबिनार आयोजित किए हैं और हितधारकों के लाभ के लिए पोर्टल और तकनीकी अद्यतन किए हैं। राजपत्र अधिसूचना 11-09-2025 को जारी की गई थी और इसके कार्यान्वयन की निगरानी को मजबूत करने के लिए ओडिशा सहित राज्यों और सभी क्षेत्रों में तीन प्रमुख क्षेत्रों में उप-समितियों के गठन के माध्यम से इसका आगे मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) बोलांगीर जिले में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0 और राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस)-2 के तहत, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े प्रशिक्षण, विशेष रूप से एआई-डेटा गुणवत्ता विश्लेषक, में 161 व्यक्तियों का नामांकन किया गया है, जिनमें से 152 प्रशिक्षण पूर्ण हो चुके हैं। इसके अलावा, 2024-25 से, प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने देश भर के 22 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रोग्रामिंग सहायक (एआईपीए)' पर एक शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस) पाठ्यक्रम भी शुरू किया है। ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में उपलब्ध हैं।

तालिका

क्रम सं	स्कीम/पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रम/ट्रेड का नाम	नामांकन	पूर्ण
1	पीएमकेवीवाई 4.0	एआई-डेटा गुणवत्ता विश्लेषक	160	152
2	एनएपीएस	एआई-डेटा गुणवत्ता विश्लेषक	1	-
3	एनएसटीआई के माध्यम से	एआईपीए	960*	326

** वर्ष 2024-25 के दौरान 462 प्रशिक्षुओं का नामांकन हुआ, जिनमें से 326 प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। वर्तमान सत्र 2025-26 के लिए 498 प्रशिक्षुओं का नामांकन हुआ है।*

(घ) मंत्रालय के माननीय मंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में आयोजित सीएसी की 38वीं बैठक के निर्णयों में से एक प्रमुख निर्णय शिक्षुता प्रणाली में निरंतर संपर्क को सुगम बनाने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में उप-समितियों का गठन था। तदनुसार, सीएसी ने तीन उप-समितियों के गठन को मंजूरी दे दी है। इनमें से, प्रौद्योगिकी भविष्य और व्यापार संबंधी उप-समिति को तकनीकी प्रगति, उभरते रोजगार के अवसर, क्षेत्रीय परिवर्तन और विकसित हो रही कौशल आवश्यकताओं, विशेष रूप से एआई, उभरती प्रौद्योगिकियों और उद्योग परिवर्तन जैसे क्षेत्रों से संबंधित मामलों का कार्यभार सौंपा गया है।

*****